

10/10/20

वकील वादी / उभयपक्ष उप०। वकील वादी ने प्रा०
पत्र पेश कर वाद को विद्वा / ~~सेट प्रेस~~ में खारिज
किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो। ~~वकालत~~ नए दिने ले जा० पत्र
पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

✓